फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

जगराम वगैरा बनाम हरजीराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 209/22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.05.2022	प्रार्थी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किय गया। प्रार्थी की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा माताजी की भाखरी पटवार हल्का संतरा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर व मौजा भीलो की बस्ती पटवार हल्का चीबी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में आई हुई है। प्रार्थी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि में दखलअन्दाजी करने व अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 28/6/22 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा माताजी की भाखरी पटवार हल्का संतरा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. क्रमशः 252, 258, 393/246 रकबा क्रमशः 12.4643, 15.3780, 5.7789 हेक्टयर व मौजा भीलो की बस्ती पटवार हल्का चीबी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 74, 76 रकबा क्रमशः 15.8960, 0.5261 हैक्टयर की भूमि में प्रार्थी का पैतृक भुमि में 4/21 वां हिस्सा बनता है। विप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थीगण के 4/21 वें हिस्सें की भुमि में न ही किसी प्रकार का कोई बेचान व हस्तान्तरण करें तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 28/6/22 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	